न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 05/2022

प्रार्थी–

भारूराम चौधरी पुत्र कुम्भाराम
जाति जाट निवासी धनाउ तहसील
धनाउ जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत धनाउ
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत धनाउ जिला बाड़मेर
3. जुंजाराम पुत्र पदमाराम निवासी धनाउ जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा विक्रय विलेख संख्या 06 दिनांक 20.11.2021 जो ग्राम पंचायत धनाउ द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री मेघाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री कपिल चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 व 2 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 14.01.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत धनाउ के द्वारा अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 06 दिनांक 20.11.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया हैं।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम पंचायत धनाउ द्वारा अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत धनाउ की आबादी भूमि में पट्टा संख्या 06 दिनांक 20.11.2021 जारी किया गया। ग्राम पंचायत धनाउ द्वारा उक्त पट्टा जारी करने में घोर अनियमितता एवं अवैधानिकता बरती जाने को आधार मानते हुए प्रार्थी ने उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:49:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत धनाउ का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

4. हमने प्रार्थी की ओर से निवेदन किया कि निगरानीकर्ता गांव धनाउ का मूल निवासी हैं। प्रार्थी के कब्जासुदा व स्वामित्वसुदा भूखण्ड पर विप्रार्थी संख्या 01 एवं 2 द्वारा प्रार्थी का विगत 50 वर्षो से कब्जा मानते हुए प्रार्थी के पक्ष दिनांक 01.03.1990 को जारी किया गया तथा प्रार्थी का उक्त भूखण्ड मे रहवास चला आ रहा है। जिसमें प्रार्थी ने अपने नाम से वर्ष 2001 में विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है। उक्त प्लोट पर 50 वर्षो से अधिक समय से कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है तथा ग्राम पंचायत धनाउ द्वारा दिनांक 15.10.2019 को प्रार्थी के स्वामित्व, कब्जासुदा व पट्टासुदा भूखण्ड में नया निर्माण कार्य करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र भी किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग कर पूर्व में काबिज निगरानीकर्ता का कब्जा हटाकर अप्रार्थी सं. 3 के नाम कूट रचना से पट्टा जारी करवाया गया हैं। अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में आलौच्य पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियमों की घोर अनदेखी की गई हैं, जिससे आलौच्य पट्टा खारिज योग्य हैं।

5. प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत जारी पट्टे में विर्णित अनुसार पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि किसी परिसर विशेष का अस्थायी मकान/कच्चे [illegible] निर्माण के रूप से आबादी भमि पर विगत 50 वर्षो का पुराना कब्जा [illegible] आवश्यक है। जबकि विप्रार्थी संख्या 3 का पट्टा स्थल के परिसर पर कोई कब्जा आज दिन तक नहीं रहा है तथा न ही पट्टासुदा स्थल में विप्रार्थी संख्या 3 के अस्थायी

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:49:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

मकान/कच्चे मकान बना हुआ है। उक्त पट्टा में वर्णित स्थल विप्रार्थी संख्या 03 के कब्जे व स्वामित्व का न होकर प्रार्थी के कब्जे व स्वामित्व का है तथा जिस पर 50 वर्षो से अधिक समय से प्रार्थी का कब्जा व स्वामित्व है। इस प्रकार विप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) की अनदेखी कर आलोच्य पट्टा जारी किया है तथा वादग्रस्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 03 का कभी कब्जा नहीं रहा मात्र अतिक्रमण करने की नियत से एवं नियमों को ताक पर रख कर कूटरचना कर आलौच्य पट्टा जारी करवाया है जो प्रारंभ से ही शुन्य होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य हैं।

6. अप्रार्थी सं. 3 के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि ग्राम पंचायत धनाउ की आबादी भूमि में अप्रार्थी का कब्जासुदा भूखण्ड आया हुआ है। ग्राम पंचायत धनाउ द्वारा अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टा सं. 06 दिनांक 25.11.2021 को जारी किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में जारी पट्टा ग्राम पंचायत धनाउ द्वारा नियमानुसार पुराने गृहों का विनियमितिकरण नियम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जारी किया गया है। ग्राम पंचायत धनाउ की ओर से भूखण्ड का स्थल निरीक्षण समिति द्वारा मौतबिरान के समक्ष निरीक्षण किया गया तथा इसमें किसी प्रकार की आपति नही होने से यह पट्टा जारी किया गया हैं। प्रार्थी का इस भूमि पर पुराना कब्जा कभी नहीं रहा हैं तथा न ही हस्तगत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संलग्न ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किया हैं। जबकि ग्राम पंचायत की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेकर मौका स्थल निरीक्षण करवाया गया तथा नियमानुसार आपत्तियां आमंत्रित करने के पश्चात आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 3 के भूखण्ड को हड़पने की नियत से प्रस्तुत करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना–पत्र आधारहीन एवं मनगढ़ंत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया हैं जो खारिज योग्य हैं जो सव्यय खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:49:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। ग्राम पंचायत धनाउ द्वारा अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत धनाउ की आबादी भूमि में पट्टा संख्या 06 दिनांक 20.11.2021 जारी किया गया। ग्राम पंचायत धनाउ द्वारा उक्त पट्टा जारी करने मे घोर अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाने को आधार मानते हुए प्रार्थी ने उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी का कथन हैं कि प्रार्थी के कब्जासुदा व स्वामित्वसुदा भूखण्ड पर विप्रार्थी संख्या 01 एवं 2 द्वारा प्रार्थी का विगत 50 वर्षो से कब्जा मानते हुए प्रार्थी के पक्ष दिनांक 01.03.1990 को जारी किया गया तथा प्रार्थी का उक्त भूखण्ड मे रहवास चला आ रहा है। जिसमें प्रार्थी ने अपने नाम से वर्ष 2001 में विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है। उक्त प्लोट पर 50 वर्षो से अधिक समय से कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है तथा ग्राम पंचायत धनाउ द्वारा दिनांक 15.10.2019 को प्रार्थी के स्वामित्व, कब्जासुदा व पट्टासुदा भूखण्ड में नया निर्माण कार्य करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र भी किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग कर पूर्व में काबिज निगरानीकर्ता का कब्जा हटाकर अप्रार्थी सं. 3 के नाम कूट रचना से पट्टा जारी करवाया गया हैं। अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में आलौच्य पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायतीराज नियमों की घोर अनदेखी की गई हैं, जिससे आलौच्य पट्टा निरस्त किये जाने योग्य हैं। अप्रार्थी सं. 3 के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि ग्राम पंचायत धनाउ की आबादी भूमि में अप्रार्थी का कब्जासुदा भूखण्ड आया हुआ है। ग्राम पंचायत धनाउ द्वारा अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टा सं. 06 दिनांक

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते
Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:49:39 IST
Reason: SelfAttested
जिला कलक्टर
बाड़मेर

25.11.2021 को जारी किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में जारी पट्टा ग्राम पंचायत धनाउ द्वारा नियमानुसार पुराने गृहों का विनियमितिकरण नियम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जारी किया गया है। ग्राम पंचायत धनाउ की ओर से भूखण्ड का स्थल निरीक्षण समिति द्वारा मौतबिरान के समक्ष निरीक्षण किया गया तथा इसमें किसी प्रकार की आपति नही होने से यह पट्टा जारी किया गया हैं। हल्का पटवारी द्वारा भी अपनी मौका जांच रिपोर्ट मे अप्रार्थी संख्या 03 का मौके पर कब्जा होना उल्लेख किया है। प्रार्थी का इस भूमि पर पुराना कब्जा कभी नहीं रहा हैं तथा न ही हस्तगत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संलग्न ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किया हैं। जबकि ग्राम पंचायत की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेकर मौका स्थल निरीक्षण करवाया गया तथा नियमानुसार आपत्तियां आमंत्रित करने के पश्चात आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 3 के भूखण्ड को हड़पने की नियत से परेशान करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना–पत्र आधारहीन एवं मनगढ़त तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया हैं जो खारिज योग्य हैं जो सव्यय खारिज फरमाया जावें। हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत के आलौच्य अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता हैं कि ग्राम पंचायत धनाउ के समक्ष अप्रार्थी सं. 3 द्वारा अपने पुराने कब्जे के विनियमितिकरण हेतु प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.09.2021 को प्रस्तुत होने पर स्थल निरीक्षण हेतु तीन वर्ड पंचों की कमेटी का गठन करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशिका लिखी गई हैं। इस हेतु ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव सं. 2 भी पारित हुआ हैं। इसके पश्चात दिनांक 20.10.2021 की बैठक में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित कि[illegible] किया गया तथा इसका समाचार पत्र में भी विधि[illegible] है। आगामी बैठक दिनांक 20.11.2021 को प्रस्ताव [illegible] हुए नियमानुसार शुल्क राशि 100/– जमा करने पर आलौच्य पट्टा [illegible] करने का निर्णय पारित किया गया हैं। इस प्रकार समस्त कार्यवाही पंचायत की आम बैठक में नियमानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:49:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

सम्पन्न हुई हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायिक नजीर 2010 (4) RLW 3575 (Raj) प्रस्तुत की जिसमें यह निर्धारित किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में आंवटित भूखण्ड पुनः नये व्यक्ति को पट्टा जारी किया जाना गलत है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे से संबंधित किसी प्रकार का रेकर्ड ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी के पक्ष में जारी उक्त पट्टा संदिग्ध प्रतीत होता है, ऐसे में उक्त न्यायिक नजीर प्रार्थी के अभिकथन का समर्थन नही करती है। इस प्रकार ग्राम पंचायत के आलौच्य अभिलेख के अवलोकन से अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में ग्राम पंचायत धनाउ द्वारा नियमानुसार पुराने गृहों का विनियमितिकरण हेतु राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जारी किया गया है। इस आधार पर आलौच्य पट्टा सं. 06 की वैधता, नियमितता एवं पूर्णता की पहलु पर किसी प्रकार की त्रुटि नही होने से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 14.01.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:49:39 IST
Reason: SelfAttested